प्रेसनोट – 06.09.2026

नाबालिब लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामलें एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार व एक नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 06.09.2026 को अभियुक्त के घर डुमरांव हरिजन बस्ती, सरायलखंसी से मु0अ0सं0- 301/26 धारा 137(2), 87,70(2) बीएनएस व 5g/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सूर्य प्रकाश उर्फ सूर्या पुत्र गुड्डू रवि निवासी ग्राम डुमरांव हरिजन बस्ती थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा एक नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0सं0- 301/26 धारा 137(2),87,70(2) बीएनएस व 5g/6 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. सूर्य प्रकाश उर्फ सूर्या पुत्र गुड्डू रवि निवासी डुमरांव हरिजन बस्ती थाना सरायलखन्सी, मऊ।
2. एक नफर बाल अपचारी।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 06.09.2026

2.स्थान- अभियुक्त के घर डुमरांव हरिजन बस्ती, सरायलखंसी।

झांसा देकर यौन शोषण करने के मामलें वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 06.09.2026 को रोडवेज घोसी के पास से मु0अ0सं0- 358/26 धारा 69, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक चौरसिया पुत्र कैलाश चौरसिया निवासी ग्राम जमालपुर विक्कमपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 358/26 धारा 69, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1.अभिषेक चौरसिया पुत्र कैलाश चौरसिया निवासी ग्राम जमालपुर विक्कमपुर थाना घोसी, मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 06.09.2026

2.स्थान- रोडवेज घोसी के पास से।

थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि-26,660/- (छब्बीस हजार छः सौ साठ रूपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 06.09.2026 को मोबाइल पर फ्राडर द्वारा गलत विडियो देखने आदि को लेकर डरा धमकाकर यूपीआई के माध्यम से पीड़ित /आवेदक एम बसरत पुत्र नदीम अहमद निवासी ग्राम प्यारेपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि-26,660/- (छब्बीस हजार छ सौ साठ रूपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 06.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त कतवारू पुत्र शिवमंगल निवासी ग्राम निजामुद्दीनपुर, थाना कोपागंज, जनपद मऊ।

2.थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम खालसा कानून गोयानचक, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 06.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 32 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1450 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 522 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी, जिसमें 13 मामलों में से 03 मामलों का हुआ निस्तारण

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 06.09.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 13 मामले आये, जिसमें परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के प्रयास से 03 मामलों का निस्तारण हुआ, शेष मामलों में अगली तारीख 13.09.2026 को दी गयी।

परिवार परामर्श समिति की बैठक में सेवानिवृत्त dysp बृजराज सिंह सिसोदिया, महिला थानाध्यक्ष कल्पना मिश्रा, महिला उ0नि0 मधु शर्मा, उ0नि0 समरजीत यादव, उ0 नि0 इन्द्र भूषण पाण्डेय, म0 आ 0 पूनम पाल, म 0आ 0 राजलक्ष्मी, म0आ0 करिश्मा राय उपस्थित रहे।